

**Statement**

(i) Statutory status for State Minorities Commissions/Boards; and

(ii) Provision of adequate funds for schemes launched by State Minorities Commissions and Boards.

These are matters within the purview of the State Governments.

(iii) Inclusions of representatives of the minority communities on the Public Service Commissions and other recruiting agencies.

The Central Government has already issued instructions to all recruiting agencies of the Central Government and its Public Undertakings to include representatives of the minorities in all selections where the number of posts to be filled up is ten or more.

As regards recruitment at the State level, the matter is within the purview of the State Governments.

(iv) Setting up of Special Courts.

As per informaiton furnished by State Governments/Government of Delhi, the number of Special Courts set up for trial of cases relating to communal crimes is indicated below :

Name of State/UT	No. of Special Courts
Andhra Pradesh	3
Bihar	13
Gujarat	5
Karnataka	6
Rajasthan	17
Delhi	3
<b>TOTAL :</b>	<b>47</b>

(v) Autonomy or minority educational institutions.

In pursuance of the Constitutional safeguards enshrined in Articles 29 and 30 of the Constitution, Government have issued policy norms and principles for recognition of minority educational institutions which prohibit laying down such conditions as would render the constitutional rights of the minorities nugatory.

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शैक्षिक विकास हेतु योजना**

\*468. श्रीमती शनिष्का अभिनवदन जंग : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के शैक्षिक विकास हेतु योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए ऐसा कोई शैक्षिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार तथा जिले-वार ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बी. तंकाबाबू) :** (क) बहुत कम साक्षर स्तर से संबंधित अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना जिसमें आवासीय स्कूल परिसरों की स्थापना करने की व्यवस्था है, को अभी आरंभ किया जाना है चूंकि इसकी रूपरेखा को योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, लड़कियों सहित अनुसूचित जाति छात्रों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्तियां, पाठ्य पुस्तकें तथा होस्टल सुविधाएं देने हेतु सरकार की अन्य योजनाएं हैं जैसा कि संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। (नीचे दी गई) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों का कम साक्षर क्षेत्रों में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करने हेतु विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने की अनुमति भी दी जाती है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी क्षेत्रों सहित आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षर पाकेटों में, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए 1993-94 में एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरंभ की गई है।

(ग) और (घ) यद्यपि बहुत कम साक्षर स्तरों की अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की योजना अभी आरम्भ की गयी है, तथापि आदिवासी क्षेत्रों के कम साक्षर पाकेटों में महिला साक्षरता के विकास हेतु शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के थाने पिल्ले में एक शैक्षिक परिसर की स्थापना करने के लिए 1993-94 के दौरान 6,33,167 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 1993-94 में स्वीकृत किए गए राज्य तथा जिला-वार शैक्षिक परिसरों का ध्येय संलग्न विवरण-2 में दिया गया है (पीछे देखिए)।

राज्य सरकार व संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान करते हैं।

#### विवरण-1

लड़कियों सहित अनुसूचित जाति छात्रों के शैक्षिक विकास में सहायता के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मेट्रिकोन्नर छात्रवृत्तियों की योजना।
2. अनुसूचित जाति लड़कियों व अनुसूचित जाति लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण की योजना।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योग्यता के उन्नायन की योजना।
5. अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना (जिसमें अधिकांश लाभग्राही अनुसूचित जातियों के होते हैं)।

#### विवरण-2

आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षर पाकेटों में शैक्षिक परिसरों की योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ—1993-94

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)	स्वीकृत परिसरों की संख्या	जिला जिसमें परिसर स्वीकृत किए गए हैं
1. आन्ध्र प्रदेश	5.28666	1	निजामाबाद
2. गुजरात	25.32668	4	कच्छ (2) बनासकांथा (2)
3. केरल	4.93833	1	वयानद
4. मध्य प्रदेश	35.20334	6	१० निमार रायसेन सिद्धी सतना पन्ना राजगढ़ थाने
5. महाराष्ट्र	6.33167	1	
6. उड़ीसा	31.75267	6	रायागादा (3) कोरापुट (2) नवरंगपुर
7. राजस्थान	16.16065	4	उदयपुर (2) सवाई माधोपुर भोजपा
कुल	125.00	23	